

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code — UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1161/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०- 2841/2026

(CNR No: UPGZ010063142026)

हितेश उर्फ हितेश खुराना उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण खुराना निवासी 151 कृष्ण नगर
तहसील कम्पल जिला-पानीपत हरियाणा 132103

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार

... ..विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 54/2026

धारा-85, 115(2), 352, 109(1), 351(3) बी.एन.एस. एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना -महिला थाना, जिला गाजियाबाद।

.....

आदेश

03.06.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त हितेश उर्फ हितेश खुराना की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।
3. अभियोजन के अनुसार वादिनी का विवाह दिनांक 06.05.2019 को हितेश खुराना के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पानीपत में सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके पिता जी ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किये थे तथा विवाह में दिये गये दान दहेज से उसका पति हितेश, ससुर किशन एवं सास किरन कभी खुश नहीं थे। सभी लोग एकराय होकर उसे कम दहेज लाने के ताने देते थे तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में कार एवं 5 लाख रुपये नकद लाने की मांग करते थे तथा आये दिन दहेज की मांग को लेकर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट करते थे तथा शारीरिक यातनाएं देते थे। फरवरी 2020 में पुनः उसके पति, सास ससुर ने एकराय होकर रात को उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वर्ष 2021 में उसकी सास की मृत्यु हो गयी। उसके पति ने नौकरी छोड़ दी और रोजाना घर बैठकर दोस्तों के साथ शराब पीना और आये दिन लड़ाई झगडा करने लगा। उसके पिता ने उसके पति को दो लाख रुपये देकर कपडे की दुकान खुलवा कर दी। 20 फरवरी 2020 को वादिनी अपने पति के साथ अपने भाई की शादी में आयी तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। दिनांक 04.10.2024 को उसका पति व ससुर शराब के नशे में घर आये तथा उसके साथ मारपीट गाली गलौज कर गला दबाकर जान से मारने लगे। वादिनी ने अपने आपको बड़ी मुश्किल से

छुड़ाया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त पीडिता का पति है। आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता से कभी दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है और न ही जान से मारने का प्रयास किया। आवेदक/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य हैं। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहती है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीडिता से दहेज की मांग की गयी और दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूपसे प्रताड़ित किया गया तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि वादिनी ने आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण पर दहेज के लिए गाली गलौज करने, मारपीट करने तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वादिनी ने अभियुक्तगण पर सर्वप्रथम वर्ष 2020 में गला दबाकर जान से मारने का आरोप लगाया है परन्तु उसके उपरान्त भी वादिनी अपनी ससुराल में रही हैं। आवेदक/अभियुक्त पीडिता का पति है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। आवेदक/अभियुक्त को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

8. अभियुक्त की ओर से पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। नियत दिनांक को उभय पक्ष व्यक्तिगत रूपसे न्यायालय में उपस्थित हों। **नियत दिनांक के लिए पीडिता को नोटिस थाने के माध्यम से प्रेषित किया जाए।** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.2026 को पेश हो। नियत दिनांक के लिए अभियोजन प्रपत्र आहूत हों।

दि० 03.06.2026

(विनोद सिंह रावत)

सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।